राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२६१३२

संख्या-ई.स. 1989/जी.एस.
दिनांक 28 अगस्त,२००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./२८६३ एवं २८७८/२००३ दिनांक ३०.७.२००३ के
संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य
विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के सम्बन्ध में उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश
२००३ द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन आर.पी.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,कमालगंज,फर्रुखाबाद को परास्नातक
स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र अतिरिक्त विषयों में दिनाक १.७.२००३ से आगामी दो
वर्ष एवं स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत
निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान
कर दी है :-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा मूल अधिनियम १९७३ की धारा ३७(२) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'डी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६(६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तें एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए,न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, शान्तिपथ,तिलक नगर,जयपुर।
5. प्रबन्धक/प्राचार्य आर.पी.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,कमालगंज,फर्रुखाबाद

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

FB06

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.स.1989/जी.एस. दिनांक 28.08.2003 द्वारा कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ।

आपके पत्र संख्या-सी.एग.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2893/03, एवं पत्र / 2878/03, दिनांक 30.7.2003 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के संदर्भ में उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन आर0पी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कमालगंज फर्रूखाबाद को परास्नातक स्तर पर कला संकाय में राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अतिरिक्त विषयों में दिनांक 1.7.2003 से आगामी दो वर्ष हेतु एवं बी0एड0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2003 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
2. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
3. संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र बी में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय में परिनियम संख्या-13.22 में अनुपालन में कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है ।
4. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2- 2003-16 (92)/2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी । विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है ।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./3084/2003 दिनांक- 30-8-2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्धक,प्रबन्ध समिति, आर0पी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कमालगंज फर्रूखाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी ने सत्र 2003-2004 से कक्षायें संचालन हेतु बी0एड0 पाठ्यक्रम में 30 सीट्स विज्ञान वर्ग एवं 70 सीट्स कला वर्ग में छात्र/छात्राओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान करने की कृपा की है।
2. सहायक कुलसचिव(प्रवेश परीक्षा बी0एड0) सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय), सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर विभाग,सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई.डी.पी.सेन्टर, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(डा0बी0के0पाण्डेय)
कुलसचिव

ATTESTED
Principal
R P (P G) College
Kamalganj (Fbd.)

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 4613 /जी.एस.
दिनांक 11/8/ २००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./५५१/२००४ दिनांक १.६.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय, ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन आर. पी.कालेज कमालगंज,फर्रुखाबाद को बी.एड. पाठ्यक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१ संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

२ संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२ २००३-१५ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

३. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए,न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य आर.पी.कालेज कमालगंज,फर्रुखाबाद
५. क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,४६ ए,तिलक नगर,शान्ति पथ,जयपुर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव